

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/नियमितिकरण/जालोर/जे-551/2018/


दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग /नर्स-2(सीधी भर्ती-2013) /2016/60 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	मोहम्मद इफतकार हुसैन	23.03.78	जालोर	10.03.16	09.03.18	10.03.18
2	मंजू	11.06.84	जालोर	09.03.16	08.03.18	09.03.18
3	रणछोड राम	20.06.74	जालोर	28.03.16	27.03.18	28.03.18
4	रजनी पुरोहित	13.03.82	जालोर	11.02.16	10.02.18	11.02.18
5	संजीव कुमार	21.01.81	जालोर	13.02.16	12.02.18	13.02.18
6	सुनीता	12.09.89	जालोर	12.02.16	10.03.18	11.03.18
7	उषा कुमारी खेदड	13.10.86	जालोर	22.02.16	21.02.18	22.02.18

नोट:- क्रम संख्या 06 पर अंकित कार्मिका के परिवीक्षाकाल में 57 दिवस असाधारण अवकाश के उपभोग किये जाने के कारण 27 दिवस परिवीक्षाकाल में वृद्धि की गयी है।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/नियमितिकरण/जालोर/जे-551/2018/781

दिनांक:- 1/6/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय जालोर।
2. जिला क्षय रोग अधिकारी, जालोर।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।